न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 158/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/244

प्रार्थीगण

1.मोड़ाराम पुत्र केहराराम
2.जेताराम पुत्र केहराराम
जाति जाट
निवासी घड़ोईनाडी,जानियाना
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1.चुतराराम पुत्र गुमनाराम
2.चूनाराम पुत्र गुमनाराम
3.लागूराम पुत्र गुमनाराम
4.ओमाराम पुत्र पन्नाराम
5.दलु पत्नी पन्नाराम
6.नारणाराम पुत्र गिरधारीराम
7.पुरनदेवी पत्नी घमंडाराम
8.भेराराम पुत्र पन्नाराम
9.मूलाराम पुत्र गिरधारीराम
10.मोटाराम पुत्र गिरधारीराम
11.गणेशाराम पुत्र कोलाराम
12.प्रेमकुमार पुत्र कोलाराम
13.भेराराम पुत्र कोलाराम
14.उदाराम पुत्र लाखाराम
15.कुमारशेर पुत्र लाखाराम
जाति जाट निवासी घड़ोईनाडी
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
16.दाताराम पुत्र गणेशाराम
17.पीराराम पुत्र गणेशाराम
जाति दर्जी निवासी जानियाना
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
18.आम्बसिंह पुत्र करणसिंह
19.ओमप्रकाश पुत्र जबरसिंह नाबालिग
जरिए संरक्षक सरपरस्त माता
कमलादेवी पत्नी जबरसिंह
20.मदनसिंह पुत्र जबरसिंह नाबालिग
जरिए संरक्षक सरपरस्त माता
कमलादेवी पत्नी जबरसिंह

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

21.राजूसिंह पुत्र जबरसिंह नाबालिग
जरिए संरक्षक सरपरस्त माता
कमलादेवी पत्नी जबरसिंह
22.कमला देवी पत्नी जबरसिंह
23.केशरसिंह पुत्र करणसिंह
24.नगसिंह पुत्र करणसिंह
25.श्रीमती सायरोदेवी के वारिसान
25/1.राजूसिंह पुत्र वगतावरसिंह
जाति पुरोहित निवासी सराणा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
26.किशनाराम पुत्र हुकमाराम
27.टीना पुत्री हुकमाराम संरक्षक सरपरस्त
माता तारोदेवी पत्नी हुकमाराम
28.तारो देवी पत्नी हुकमाराम
29.रूगाराम पुत्र हुकमाराम
जाति जाट निवासी जानियाना
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
30.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार,
पचपदरा जिला बालोतरा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति–

1.श्री रामसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.विप्रार्थीगण एकतरफा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 27/01/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जानियाना पटवार हल्का जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 363/127 रकबा 3.2375 हैक्टेयर एवं ग्राम घड़ोईनाड़ी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 408/54 क्षेत्रफल 5.6656 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम जानियाना पटवार हल्का जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 363/127 रकबा 3.2375 हैक्टेयर एवं ग्राम घड़ोईनाड़ी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 408/54 क्षेत्रफल 5.6656 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जानियाना पटवार हल्का जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 363/127 रकबा 3.2375 हैक्टेयर एवं ग्राम घड़ोईनाड़ी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 408/54 क्षेत्रफल 5.6656 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जानियाना पटवार हल्का जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 363/127 रकबा 3.2375 हैक्टेयर एवं ग्राम घड़ोईनाड़ी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 408/54 क्षेत्रफल 5.6656 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम जानियाना पटवार हल्का जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 363/127 रकबा 3.2375 हैक्टेयर एवं ग्राम घड़ोईनाड़ी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 408/54 क्षेत्रफल 5.6656 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की ज़माबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 23.5.2023 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जानियाना पटवार हल्का जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 363/127 रकबा 3.2375 हैक्टेयर एवं ग्राम घड़ोईनाड़ी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 408/54 क्षेत्रफल 5.6656 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27/01/25 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

27/01/2025

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा